

निर्देश 27/3/19 को पुनर्जांच।

9.10.2019

पञ्जावली आज शर्मा के प्राथम पत्र पर पेसी नै  
की गई। प्राथम के प्राथम पत्र पर कर निवेदन  
किन्तु की ग्रह अमील रिपोर्ट 27/3/19 को नीचे  
प्रेस में खारिज कर दी गई थी। परन्तु सधन  
से पीठपीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे लगे।  
जिसके निमित्त नहीं थे प्राथम। अमील की अमील  
नोट प्रेस में खारिज करने के आदेश प्रदान किये।

प्राथम/अमील के पुनः। पञ्जावली का अवलोकन  
किन्तु। अमील की अमील जर्नल नोट प्रेस खारिज  
की जाती है प्रकरण दायित्व दस्ता है।

निर्देश आज रिपोर्ट 9.10.2019 को पुनर्जांच।



